न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी :– श्री गजेन्द्र सिंह

तहसीलदार उदयपुरवाटी सरकार जरिये पटवारी हल्का पौंख,

बनाम

श्री विक्रमसिंह हर्षवर्धनसिंह पुत्रगण किशोरसिंह जाति दरोगा निवासी पौंख तहसील उदयपुरवाटी

अर्तगत धारा 91 राज0 भू, राजस्व अधिनियम, 1956

–:निर्णय:–

प्रकरण संख्या:– 22/2022 दिनांक 11.04.2022

पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का पौंख ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश कर सूचित किया कि संवत 2078 में मौजा ग्राम पौंख पटवार हल्का पौंख के हाल भूमि खसरा नम्बर 3060/1834 कुल रकबा 0.74 है0 किस्म गै0 मु0 रास्ता में से 0.1424 है0 सरकारी भूमि पर श्री विक्रमसिंह हर्षवर्धनसिंह पुत्रगण किशोरसिंह जाति दरोगा निवासी पौंख ने अनाधिकृत रुप से चना व गैहूं की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया हैं। प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जरिये विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मणसिंह शेखावत के अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तामीलकर्ता ने यह माना है कि अप्रार्थी घर पर मौजूद थे, अतः उनके खिलाफ की गई एक पक्षीय कार्यवाही अगल में लाई गई जो गैर कानूनी है। जबकि तामील कुलिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी घर पर नहीं मिलना बताया व गवाह के रूप में जीवराज सिंह पुत्र गीगसिंह जाति राजपूत के हस्ताक्षर होने से अप्रार्थीगण का कथन निरर्थक है। अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी देकर सुनवाई का अवसर दिया गया। पत्रावली में एक अन्य परिवादी ने अतिक्रमण हटाने बाबत परिवाद भी पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अप्रार्थीगण को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रुप से अतिक्रमण करने के फलस्वरुप अतिक्रमि घोषित किया जाता हैं तथा उपरोक्त मुतनाजा अराजी से भौतिक रुप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश

वाके ग्राम पौंख पटवार हल्का पौंख के हाल भूमि खसरा नम्बर 3060/1834 कुल रकबा 0.74 है0 किस्म गै0 मु0 रास्ता में से 0.1424 है0 भूमि पर से श्री विक्रमसिंह हर्षवर्धनसिंह पुत्रगण किशोरसिंह जाति दरोगा निवासी पौंख को बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं, साथ ही इस अनाधिकृत अतिक्रमण के दण्ड स्वरुप वार्षिक लगान 1 रुपये का 50 गुणा यानि कुल 50/–रुपये (अक्षरे रु पचास मात्र) बतौर जुर्माना अप्रार्थी पर आरोपित किया जाता है। निर्णय अनुसार मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखकार एवं भू0अभिलेख निरीक्षक को लिखा जाये। भू अभिलेख निरीक्षक को आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी को सरकारी भूमि पर से बेदखल कर रिपोर्ट बेदखली पेश करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम ... तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 11.04.2022 को खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh
Date: 2022.11.24 11:45:22 IST
Reason: SelfAttested

(गजेन्द्र सिंह)
तहसीलदार उदयपुरवाटी
झुन्झुनूं

2022 – 2...
रुपये 50
कायमी की गई
TRA